8.

उत्तरदायित्व व पारदर्शिता तथा सूचना का अधिकार

डॉ. हेमा जैन (मेहता)
व्याख्याता
लोक प्रशासन विभाग
महिला पी.जी. महाविद्यालय, जोधपुर
मोबाइल नं. 09460885499

लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था उत्तरदायित्व व पारदर्शिता की आधारशिला पर विकसित होती है। लोककल्याण के लक्ष्य पर आधारित लोक प्रशासन द्वितीय युद्ध के पश्चात् जनता के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करता रहा है। जनता के दिन–प्रतिदिन के कार्यो पर प्रशासन का प्रभाव स्पष्ट गोचर होता है। अतः एक सभ्य समाज में यह आवश्यक है कि प्रशासनिक जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाय। सूचना प्राप्ति का अधिकार जवाबदेहिता का सूचनागत आयाम है।

लोक प्रशासन में पारदर्शिता अर्थात छुपाव विहीन प्रणाली अपनाने तथा आम जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में माँग की जाने लगी लोकतंत्र में सरकार की सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा बहुत सीमा तक स्वच्छ, कुशल तथा पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर करती है। भारत का संविधान देश के नागरिक को भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है लेकिन सूचना प्राप्त करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं था।

"बिना सूचना या जानकारी के व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं।" वर्तमान युग में सूचना ही जीवन का प्राण हैं। यदि लोक उत्तरदायित्व के सभी पहलुओं पर विचार किया जाये तो यह लगता है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हैं। प्रशासनिक जवाबदेहिता, लोकतांत्रिक प्रशासनिक संस्कृति को बनाये रखने में अति आवश्यक व महत्वपूर्ण हैं। सूचना प्राप्ति का अधिकार लोकतंत्र के इसी विशेष रूप को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र वास्तविक अर्थो में लोक घटनाओं में जनता की भागीदारी से अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए दो तत्व महत्वपूर्ण है। (1) खुलापन (2) सूचनाओं की प्राप्ति। इन दो तत्वों पर ही लोकतांत्रिक राज्य अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तथा निगम से सम्बन्धित क्षेत्र भी इन्ही के कारण राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दक्षता और प्रभावशीलता दर्शाता हैं।

सूचना प्राप्ति के अधिकार से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण किया जाय तो यह पता चलता है कि सर्वप्रथम स्वीडन में 18वीं शताब्दी में ही जनता को सूचना प्राप्ति का अधिकार प्रदान किया था। इसके पश्चात स्वीडन, डेनमार्क, नार्वे, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्राप्ति का अधिकार जनता में दिया गया। अमेरिका में "Freedom of Information Act, 1973" तथा "Sunshine Act, 1976" के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार दस्तावेजों से सम्बन्धित सूचना का अधिकार रखेगी। लेकिन इसके तहत यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि दस्तावेजों की गोपनीयता को बनाये रखना आवश्यक हुआ तो "Privacy Act, 1974" के तहत कार्यालयी दस्तावेजों की गोपनीयता बनाये रखने का प्रावधान किया गया।

प्रशासनिक कार्यो की जानकारी आम जनता को नहीं दी जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी "शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923" हैं। जिसके अनुसार देश की एकता, अखण्डता, या सम्प्रभुता की रक्षा के लिए शासन की नीतियों या प्रक्रियाओं की जानकारी जनसाधारण से छुपाकर रखी जाती है। वास्तविकता यह है कि एकता, अखण्डता या सम्प्रभुता जैसे मुद्दों से कोसों दूर इस तरह की सूचनाऐं भी जनसाधारण को उपलब्ध नहीं करायी जाती है। उदाहरणतः यदि को विश्वविद्यालय से कोई सूचना चाहता है, या अपना वरिष्ठता क्रम जानना चाहता हैं तो इसमे राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या खतरा है। इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दिनकर लाल मेहता ने जयपुर शहर की गंदगी के सम्बन्ध में दायर एक जनहित याचिका (एल. के. कूलवाल

Scanned with CamScanner

बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए. आई. आर., 1988, राज. 2) के निर्णय में कहा था कि शहर के प्रत्येक नागरिक को शहर की गतिविधियों, प्रशासन के क्रियाकलापों तथा प्रयासों की जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार हैं।

इसी कानून की धारा 123 के अनुसार राज्य के कार्यकलापों की जानकारी प्रशासनिक तंत्र से बाहर देना या न देना विभागाध्यक्ष पर निर्भर हैं। इसी तरह धारा–124 के अनुसार किसी लोक सेवक को शासकीय सूचनाऐं उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अंग्रेजो द्वारा एक शताब्दी पूर्व निर्मित इस कानून का वर्तमान में क्या महत्व रह गया हैं ? उस समय जनता अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक नहीं थी। वर्तमान में सूचना के अधिकार का मुद्दा वैश्विक स्तर पर बहस का केन्द्र बना है। आज उदारीकरण व वैश्वीकरण के युग में प्रशासनिक व प्रबंधकीय प्रकृति नया रूप ले रही है। और इस अधिकार की बढ़ती आवश्यकता के कई कारण थे:–

1. सबसे महम्वपूर्ण कारण लोकतांत्रिक ठाँचे में एक सक्षम और प्रभावी शासन का विकास एक सुशासन पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा योग्यता से संबंधित होता है। प्रशासन को स्मार्ट यानि (S- Simple, M- Moral, A - Accountable, R- Responsive, T- Transparent) बना कर एक नागरिक मित्र जैसा वातावरण तैयार किया जाता हैं।
2. गुणात्मक लोकतंत्र की स्थापना भष्ट्राचार रहित प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर है। इस अधिकार के माध्यम से जनसशक्तिकरण बढ़ता है। नागरिकों में जागरूकता बढ़ती है। और प्रशासन में जनसहभागिता बढ़ती है।
3. सूचना भागीदारी एवं ज्ञान आधारित विकास के साथ अर्थव्यवस्था के ऐसे रूप को निर्मित करने की कोशिश की गयी है। जिसमें जनता की व्यापक भागीदारी आवश्यक हो। तथा संभव हो। सूचना प्राप्ति का अधिकार इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके तहत बाजारोन्मुखी दृष्टीकोण को अपनाते हुए न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को भी संभव बनाया जा सकेगा।
4. अच्छे प्रशासन के लिए ई–गवर्नेस की माँग दिनोदिन बढ़ती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक नयी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सफलता पूर्वक कार्य संपादित करना तब एक संभव नहीं है जब तक जनता में जागरूकता न हो। सूचना प्राप्ति का अधिकार ई–गर्वनेस की सफलता के लिए आवश्यक है।
5. वर्तमान में सूचना के आदान–प्रदान को संभव बनाने पर बहुत बल दिया जा रहा है। इससे सम्बन्धित वातावरण विकसित करने की माँग की जा रही है। ज्ञान आधारित उद्योग और संगठन को प्रोत्साहित करने तथा पूर्व क्रियात्मक सूचना देने की बात पर बल की माँग बढ़ती जा रही है।

सूचना प्राप्ति के अधिकार का प्रभाव लोक प्रशासन पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसके कारण प्रशासन में खुलापन आया हैं। लोक कार्यो तथा उससे संबंधित निर्णय–निर्माण में जनता की भागीदारी बढ़ी हैं। प्रशासनिक पारदर्शिता को सम्भव बनाया है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासन में व्याप्त त्रुटियों की पहचान संभव हुई है। उन त्रुटियों का समाधान संभव हुआ है। सूचना प्राप्ति के अधिकार ने प्रशासन को क्रियात्मक, सकारात्मक और अनुक्रियाशील बना दिया। जहाँ एक तरफ गोपनीयता अधिनियम एवं साक्ष्य अधिनियमों में परिवर्तन किये जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लोक सूचना अधिकारियों की नये सिरे से नियुक्ति की जा रही है। सूचना प्राप्ति के अधिकार से संबंधित प्रयत्नों के परिणामस्वरूप राज्य व गैर राज्यों तंत्रों के बीच सूचना के आदान–प्रदान को संभव बनाया। न सिर्फ राज्य एवं गैर–राज्य तंत्रो के बल्कि दो या दो से अधिक सरकारों के बीच में सूचना के आदान–प्रदान को प्राथमिकता मिलने लगी।

लोक प्रशासन तथा लोक सेवा से संबंधित प्रशासनिक व्यवहार में सूचना प्राप्ति के अधिकार ने जिस प्रकार परिवर्तन को संभव बनाया है उससे विकास की संपूर्ण परिभाषा एवं विकास के सभी आयामों में व्यापक बदलाव आया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही गुणात्मक लोकतंत्र को स्थापित कर समाजवादी धर्म निरपेक्ष गणराज्य को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रथम बार नागरिकों के सूचना प्राप्ति के अधिकार का मुद्दा उठाया गया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार ने "गोपनीयता अधिनियम, 1923" में बदलाव से सम्बन्धित संभावनाओं पर विचार किया। 1989 में भी कुछ राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा

Scanned with CamScanner

पत्रों में सूचना प्राप्ति के अधिकार से संबंधित कानून निर्माण की सिफारिश की। परन्तु इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्राप्ति के अधिकार से सम्बन्धित कई सुधार किये गये। सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्राप्ति के अधिकार को संविधान के अध्याय तीन में दिये गये मौलिक अधिकारों का ही एक हिस्सा माना। 1979 में सर्वोच्च न्यायालय का यह मत था कि जनता को लोकविधियों को जानने का पूरा अधिकार है। 1981 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश पी. भगतती ने यह मत दिया कि यदि समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करता है तो नागरिक को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है उनकी नीतियाँ क्या हैं। 1997 में तत्कालीन भारत सरकार ने सूचना के अधिकार से संबंधित विधेयक का प्रारूप एस. डी. शौरी के नेतृत्व में तैयार किया। 11 मई 2005 को लगभग 150 संशोधनों के साथ सूचना के अधिकार से सम्बन्धित विधेयक स्वीकार कर लिया गया। 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम जम्मू–कश्मीर को छोड़ कर देश के सभी भागों में प्रभावी हुआ।

नये अधिनियम के तहत सूचना और सूचना के अधिकार को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। किसी भी तरह की सामग्री अभिलेखन, दस्तावेज, स्मणपत्र, ई–मेल, विचार, सुझाव, प्रेस–विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, ठेके, प्रतिवेदन पेपर, नमूने, प्रारूप, इलेक्ट्रानिक आँकड़े और किसी भी निजी संस्था से सम्बन्धित सूचना जिस तक किसी कानून के माध्यम से लोक अधिकारी तक पहुँचा जा सके। सूचना के अधिकार के तहत कार्यो, दस्तावेजो, एवं अभिलेखन का निरीक्षण किया जा सकता है। सामग्री के सत्यापित नमूने लिये जा सकते है। सूचना से सम्बन्धित टंकित प्रति, फॅलापी, सीडी, टेप, विडियो टेप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड (Electonic Mode) प्राप्त किये जा सकते है।

यह अधिनियम लोक अधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचनाऐं जनता को प्राप्त हो, इसका आधार प्रदान करता है। इसके माध्यम से प्रत्येक लोक अधिकारी क कार्यो में पारदर्शिता आयेगी। लेकिन भारत एक संक्रमण कालीन विकासशील राष्ट्र है। विजातीयता, अतिराव, औपचारिकता इस समाज की विशेषताऐं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 67 वर्ष के बाद भी भारतीय जनता का शैक्षणिक स्तर संतोषजनक नहीं हैं। व्यक्तिगत हित सामाजिक हित पर हावी है। सूचना के अधिकार के मार्ग आने वाली सबसे बड़ी बाधा शिक्षा है। भारत में 70 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती हैं। जो अशिक्षित हैं। अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। दूसरी ओर प्रशासन एक बड़ा वर्ग गोपनीयता को बनाये रखने का समर्थन करता है। अधिकतर जनता द्वारा सूचना माँगे जाने पर तीसरे पक्ष का होने के कारण सूचना देने में असमर्थता जता देते है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्राप्ति के अधिकार के साथ–साथ गोपनीयता के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। जिसका फायदा प्रशासनिक अधिकारी उठाते है। उदाहरण के तौर पर "यदि किसी एक व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति के कार्यालय से सम्बन्धित कोई सूचना चाही जो व्यक्तिगत नहीं थी लेकिन यह कह कर कि" आपने (सूचना माँगने वाले व्यक्ति) जिस सूचना के संबंध में माँग की है जो तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित सूचना है। सूचना के अधिकार के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए आप के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में तृतीय पक्षकार की सहमति/असहमति प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके संदर्भ में तृतीय पक्षकार ने अपनी असहमति ही है। जिसके कारण आपको सूचना उपलब्ध करवाया जाना असंभव है।"

ऐसे एक नहीं अनेको उदाहरण है जो तृतीय पक्ष का बताकर असहमति प्रकट करते है। लोकतंत्र के इस युग में जहाँ हम उत्तरदायित्व व पारदर्शिता की बात करते है वहाँ ऐसी समस्याऐं सामने आती है। और जनता की माँग व आवाज को दबा दिया जाता है। आवश्यकता है उन विधियों की जिनमें पारदर्शिता की धारायें स्पष्ट हो। सामान्य सूचनाओं व संवेदनशील सूचनाओं के मध्य अन्तर स्पष्ट किया जाये। सूचना प्राप्ति के साथ (Right) शब्द का प्रयोग किया जाय। यदि सूचना के अधिकार में संशोधन किय जाय तो यह प्रशासनिक पारदर्शिता के क्षेत्र में ठोस कदम होगा। एक सुशासन के तत्वों को लाने सहायक होगा। और लोकतंत्र की तरफ एक सफ कदम।

संदर्भ सूची

1. अशोक कुमार दुबे: 21वीं शताब्दी में प्रशासन
2. K. K. Mathur: Democracy, Equ & Freedom
3. प्रतियोगिता दर्पण लेख अक्टूबर 2013
4. "Act Right to Information", Yojna

Scanned with CamScanner